आवश्यक/समयबद्ध

संख्या: 5/2020/702/12-2-2020-60(82)/2018

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 2020

विषय: मा0 प्रधान मंत्री जी के दिनांक 29 फरवरी, 2020 को जनपद चित्रकूट आगमन पर प्रदेश व्यापी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 02/2020/486/12-2-2020-60(82)/2018 दिनांक 09 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने हेतु विशेष अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. उल्लेखनीय है कि मा0 प्रधान मंत्री जी द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2020 को जनपद चित्रकूट आगमन पर पी0एम0-किसान के लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जनपदों के संबंधित बैंकों द्वारा अपने शाखाओं पर उक्त तिथि को कैम्पों का आयोजन करते हुए संबंधित कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जायेगा एवं मा0 प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का कृषकों के समक्ष लाइव-स्ट्रीमिंग किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यक्रम की समीक्षा अपने स्तर पर करते हुए कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी आयोजित कैम्पों में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हो सके। जिन किसानों के प्रार्थना पत्रों में कमियॉ पायी जाती हैं उनके निराकरण के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराकर तत्काल उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाय।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त के अतिरिक्त विकास से संबंधित जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि बैंक शाखाओं पर आयोजित शिविरों का भ्रमण करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा भी कर लें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 5/2020/702 (1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 11-विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
3. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा, बडौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।